संख्या:-25/2020/273/छप्पन-2020-10(5)2002

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय:- मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम पिटीशन संख्या: 37/2020 कल्लू बनाम निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं प्रकीर्ण वाद संख्या: 334/19, राम सेवक आदि बनाम निदेशक, नागरिक उड्डयन में याची गण की क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 737/ना0उ0 नि0/2020 दिनांक 11 फरवरी, 2020 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम पिटीशन संख्या: 37/2002 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2005 एवं तत्क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में दाखिल की गई एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या: 509/2005 निदेशक, नागरिक उड्डयन बनाम कल्लू वअन्य में मा0 उच्च न्यायालय,लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मई, 2017 के अनुपालन हेतु विशेष शासकीय अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, लखनऊ के पत्र दिनांक20 दिसम्बर, 2019 द्वारा परार्मशानुसार वादी को भुगतान हेतु रू0 5,42,556/- (रू0 पांच लाख बयालिस हजार, पांच सौ छप्पन मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल विषयगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ एवं मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण,लखनऊ द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में वादीगण को भुगतान के लिए मा0 न्यायालय में जमा करने हेतु धनराशि रू0 5,42,556/- (रू0 पांच लाख बयालिस हजार, पांच सौ छप्पन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजस्व लेखा शीर्षक- ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय एवं रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-42 –अन्य व्यय '' से वहन की जाएगी।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृत के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0:25/2020/273(1)/छप्पन-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी0-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता,मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
6- विशेष शासकीय अधिवक्ता, सिविल कोर्ट,लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।